न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन कमांक /2012 रिव्यू 3508-I/12

1. माधव पुत्र बिहारीलाल मोर
2. रामजीदास पुत्र बिहारीलाल मोर
3. रामकुमार पुत्र बिहारीलाल मोर

निवासीगण दतिया तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जसरथ सिंह पुत्र मेहरबान सिंह
निवासी ग्राम धरावा तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमाक 69–III/1991 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.3.2012 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1– यह कि, आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि कुल किता 11 कुल रकवा 21.18 एकड में से 1/2 भाग अर्थात 10.59 एकड़ भूमि अनावेदक के पक्ष में 5000/– रू. में आवेदक कं. 1 तथा आवेदकगण के पिता ने अपनी तथा आवेदक कं. 2 व 3 अवयस्क की ओर से रहन/ बंधक रखी थी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3508-एक/2012 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
10–4–2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.3.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	